निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 माघ 1937 (श0)

(सं0 पटना 110) पटना, वृहस्पतिवार, 4 फरवरी 2016

सं0 11/नई उत्पाद नीति–01–03/2015–**386**

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

————————

संकल्प

27 जनवरी 2016

विषयः– नई उत्पाद नीति, 2015 के क्रियान्वयन के फलस्वरूप छोआ, सुषव, देशी शराब, मसालेदार देशी शराब के निष्पादन एवं उपयोग के लिए दिशा निर्देश।

नई उत्पाद नीति, 2015 दिनांक 01.04.2016 से प्रभावी है जिसके तहत देशी शराब, मसालेदार देशी शराब का विनिर्माण, बिक्री एवं उपभोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। राज्य के अन्तर्गत देशी शराब, मसालेदार देशी शराब, संशोधित सुषव ग्रेड–1 से किया जाता है जो छोआ आधारित आसवनियों द्वारा उत्पादित होता है। दिनांक 31.03.2016 के बिक्री काल के पश्चात् सुषव निर्मित देशी शराब, मसालेदार देशी शराब के अवशेष स्कंध का समुचित निष्पादन आवश्यक होगा। चीनी मिलों के उप–उत्पाद छोआ का समुचित सदुपयोग भी विचारणीय हो गया है ताकि इन चीनी मिलों एवं आसवनियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडे.।

2. नई उत्पाद नीति, 2015 के तहत विदेशी शराब की बिक्री BSBCL द्वारा संचालित खुदरा दुकानों द्वारा की जायगी अतएव दिनांक 30.03.2016 के बिक्री काल के पश्चात निजी खुदरा विदेशी शराब दुकानों में अवशेष स्कंध का निष्पादन भी आवश्यक है।

3. नई उत्पाद नीति, 2015 को प्रभावी ढंग से लागू करने एवं लागू होने के पश्चात् देशी शराब के विनिर्माण आदि से जुडे आसवनियों एवं चीनी मिलों के व्यावसाय पर संभावित प्रभाव का गहन विचार विमर्श नीति के तहत मुख्य सचिव के अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गयी।

4. उपर्युक्त विन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि :–

(i) दिनांक 01.04.2016 से देशी शराब/मसालेदार देशी शराब का निर्माण बिक्री एवं उपभोग पर प्रतिबंध के फलस्वरूप देशी शराब एव मसालेदार देशी शराब के निर्माणशाला, बी0एस0बी0सी0एल0 गोदाम तथा खुदरा दुकानों में अवशेष बचे देशी शराब एवं मसालेदार देशी शराब के उपलब्ध स्कंध को 31.03.2016 के बिक्री काल के पश्चात् लेखा संधारण कर विनष्ट किया जायगा।

(ii) 01.04.2016 से विदेशी शराब के व्यापार की अनुमति बी0एस0बी0सी0एल0 को दी गयी है। अतएव गैर सरकारी खुदरा दुकानदारों द्वारा दिनांक 31.03.2016 तक संचालित दुकानों में उपलब्ध विदेशी शराब को 31.03.2016 के बिक्री काल के पश्चात् लेखा संधारण कर इसे सील बंद कर दिया जायेगा एवं इसका निष्पादन पर्षदीय अनुदेश 117 के तहत बी0एस0बी0सी0एल0 द्वारा क्रय कर किया जायेगा।

(iii) राज्य में कार्यरत आसवनियों के द्वारा 29.02.2016 के पश्चात् संशोधित सुषव का उत्पादन नहीं किया जायगा। छोआ आधारित (Molasses based) आसवनियॉ, 01 अप्रैल, 2016 से अपनी क्षमता का 100 प्रतिशत इथनॉल ही बनाएंगी। यह इथनॉल तेल कम्पनियों को पेट्रोल/डीजल में Blending हेतु आपूर्ति किया जायगा। अनाज आधारित (Grain based) आसवनियॉ, 01 अप्रैल, 2016 से अपनी क्षमता का 100 प्रतिशत ENA ही बनाएंगी। इथनॉल/ENA बनाने के क्रम में जो भी विकृत सुषव अथवा अन्य कोई Bye Product निकलता है तो उसे अनिवार्यतः नष्ट करना होगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
के0 के0 पाठक,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 110-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in